



हर रिश्ते का रखे ख्याल...

तो सवाल ये है, ओसवाल सोप ही क्यों?



ये बना है
नेचुरल ऑयल्स से



खारे पानी में भी
कपड़े करे साफ़



कम गले
ज्यादा चले



कपड़ों और हाथों का
रखे ख्याल



इसलिए हर घर का भरोसेमंद नाम
ओसवाल सोप



Product image is for illustrative purposes only and may differ from the actual product

ओसवाल सोप ग्रुप - हर रिश्ते का रखे ख्याल

सोप एवं टब सोप



अधिक जानकारी के लिए
+91 91161 71956, 96802 01956 पर कॉल करें

विपणन :
उत्तम चन्द देसराज



प्रदेश का सड़क तंत्र बन रहा मजबूत

विकास, विश्वास और सुगमता की नई राह पर राजस्थान



अलका सक्सेना

राजस्थान आज अपने विकास यात्रा के उस दौर में है, जहां सड़कें केवल गंतव्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं रही, बल्कि वे प्रगति, समृद्धि और सुशासन की सशक्त पहचान बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सड़कों के व्यापक नेटवर्क को विस्तार देने, गुणवत्ता सुधारने और सुगमता बढ़ाने का जो अभियान शुरू किया है, उसने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नई गति प्रदान की है। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर गांवों की गलियों तक, हर दिशा में विकास का पहिया गति पकड़ चुका है।

राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 24,976 करोड़ की राशि व्यय कर 36,140 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर उल्लेखनीय

कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि यह सरकार के उस विजन का परिणाम है जिसमें हर नागरिक तक सुगम, सुरक्षित और तेज़ आवागमन की सुविधा पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़कों के विकास हेतु 12,391 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 28,600 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास के लिए 14,816 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों ने न केवल ग्रामीण अंचलों की काया पलट दी है, बल्कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार लाया है। अब तक 1,564 गांव और बसावटें सड़कों से जुड़ चुकी हैं। साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की ‘मिसिंग लिंक’ सड़कों के लिए 1,328 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे पहले से कटे या दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की राह खुली है।

इसी तरह, 327 खुलत प्रगति पथों के निर्माण के लिए 813 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब गांव केवल खेती तक सीमित नहीं, बल्कि तेज़ी से विकास के केंद्र बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 22 माह से अधिक के कार्यकाल में राज्य राजमार्गों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

सरकार के विजन के अनुरूप 8,194 करोड़ की लागत से 6,249 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों का विकास पूरा किया जा चुका है, जबकि 2,547 करोड़ की लागत से 8 राज्य राजमार्गों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, जिला मुख्यालयों से संपर्क को सुगम बनाने के लिए 5,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। इसका लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं की सहज पहुंच के रूप में दिखाई दे रहा है।

डबल इंजन सरकार की नीतियों के अनुरूप राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का तेज़ी से सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। अब तक 600 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पूरा किया जा चुका है, जबकि 457 किलोमीटर सड़कों पर कार्य प्रगति पर है।

रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 10 आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) और 14 आरयूबी (रेल अंडर ब्रिज) का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं 33 आरओबी और 14 आरयूबी पर कार्य जारी है। इसके साथ ही, 11 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 15 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। इन संरचनाओं ने न केवल सड़क सुरक्षा को मजबूती दी है, बल्कि यात्रियों का समय और ईंधन दोनों की बचत भी सुनिश्चित की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 तक राजस्थान का

कुल सड़क नेटवर्क 3,17,121 किलोमीटर तक पहुंच गया है। सड़क घनत्व अब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 92.66 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। यह दर्शाता है कि राज्य के हर हिस्से में कनेक्टिविटी और पहुंच में गुणात्मक सुधार हुआ है।

राज्य में कुल 39,408 गांव अब सड़कों से जुड़े हैं। वहीं 47 राष्ट्रीय राजमार्ग और 23 राज्य राजमार्गों के उच्च गति यात्रा के लिए उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 10,790 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 17,376 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 2,06,318 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें सक्रिय हैं।

यह नेटवर्क न केवल राजस्थान के आंतरिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों से निर्बांध संपर्क भी सुनिश्चित कर रहा है। राजस्थान की सड़क नीति केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दृष्टिकोण व्यापक है – यह समाज विकास का माध्यम बन चुकी है। बेहतर सड़कें व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों के लिए आधारशिला सिद्ध हो रही हैं। गांवों से मंडियों तक उत्पादों की सुगम आवाजाही से किसानों की आमदनी बढ़ी है। उद्योगों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होने से निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना ​​है कि सड़कें विकास की

धमनियां हैं। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। सड़क निर्माण में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस अभियान के परिणामस्वरूप राजस्थान में न केवल सड़क तंत्र मजबूत हुआ है, बल्कि लोगों के जीवन में सहजता, सुरक्षा और सुगमता आई है। सड़कों के इस सुविचारित नेटवर्क ने प्रदेश को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर गांव, हर कस्बे तक पहुंच चुका है।

राजस्थान आज उस दिशा में अग्रसर है जहां सड़कें केवल भौगोलिक दूरी नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बन गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य का सड़क तंत्र मजबूती, सुरक्षा और गुणवत्ता के नए मानक स्थापित कर रहा है। सड़कें विकास की दिशा निश्चलती हैं और राजस्थान इस दिशा में देश के अठाणी राज्यों में शामिल हो चुका है। सड़कों पर दौड़ते वाहन अब केवल यातायात का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राजस्थान के सपन को साकार करने की यात्रा का हिस्सा है।

अलका सक्सेना, अतिरिक्त निदेशक सेनि., सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

सवालों के उत्तर मिलने चाहिए/सवाल कई हैं



रचना सिद्धा

पिछले दिनों दो खबरें प्रमुखता से अखबार में दिखाई और कई दिनों तक चली। न केवल प्रिंट मीडिया में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। आज इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और सभ्य कहे जाने वाले समाज में दो बेटीयों की जीवनशैली देखे के दानव ने समायोण कर दी। पहली खबर उत्तर प्रदेश की है और दूसरी खबर राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में बेटी को जला कर मार डाला गया और राजस्थान में बेटी ने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली और साथ में अपनी तीन साल की बच्ची को भी मार डाला। दोनों ही दुर्घटनाओं की विस्तृत छानबीन चल रही है। परंतु प्रथम दृष्टया दोनों ही मामले देहेज हत्या के बताए जा रहे हैं। इन दोनों दुर्घटनाओं के बारे में पढ़कर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं।

पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दुर्घटना की। निक्की जिसकी मौत हुई उसकी बड़ी बहन की शादी भी उसी घर में हुई। दोनों बहन के साथ साथ

जेठानी देवरानी भी थीं। निक्की को सात साल का एक बेटा भी है। कहा जा रहा है कि निक्की को उसके बच्चे के सामने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। बच्चे ने भी पुलिस को बयान दिया है कि मम्मा को पापा ने लाट्टर से जला दिया। यह सब जब हो रहा था तब निक्की को सास भी अपने बेटे का साथ दे रही थीं। निक्की की बड़ी बहन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर उसे भी मारा पीटा गया। बड़ी बहन ने बताया कि निक्की के साथ देहेज को लेकर अक्सर पार पीट होती थी। शादी के समय लड़के वालों की हर फरमाईश पूरी की गई और शादी के बाद भी अक्सर उनकी मांग आती रही जिसे निक्की के माता पिता ने किसी भी तरह हिंसा और देहेज के मामले में पुलिस को शिकायत की? अब जबकि निक्की और संजू की मौत हो गई है और उनके पीहर वाले देहेज का मामला दर्ज कर रहे हैं तो क्या इस मामले में वे भी उतने ही दोषी नहीं हैं जबकि वे उनकी देहेज की मांग को लगातार पूरा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जबकि देहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में अपराध माना गया है।

निक्की के पास हुनर था उसने क्यों नहीं अपने हुनर के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे ही संजू के पास सरकारी नौकरी थी उसने क्यों नहीं आजाज उठाई और अपने सम्मान और जीवन के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। कुछ सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल

समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेटीयों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल कितानी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है?

फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि देहेज और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें देहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पातीं?

हम समाज क्या कहेंगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को मरणा दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। देहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाते

चाहिए क्यों उन्हें अपनी बेटी की मौत के बाद ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराना याद आता है? क्यों देहेज की मांगों को वे सिर से खारिज नहीं कर देते? क्यों शादी के बाद भी बरसों तक वे बेटी के ससुराल वालों की मांग पूरी करते रहते हैं? क्यों वे अपनी बेटी को इतनी हिम्मत देते हैं कि बेटी अपने घर वापस आकर नये सिर से अपने जीवन की शुरुआत कर सके क्यों विदा करते समय वे यह नहीं कहते कि यह घर आज भी तुम्हारा उतना ही अपना है जितना पहले था? कभी भी किसी भी समय उसे अपने इस घर में आने का साहस भर कर क्यों विदा नहीं करते अपनी बेटीयों को? क्यों वे नहीं कहते – हम हैं हमेशा तुम्हारे साथ। ये पांच शब्द बेटीयों को बहुत हिम्मत दे जाते हैं। इसके विपरीत हमारे यहां विदा करते समय कहा जाता है अब वही तुम्हारा घर है। उस घर की मान, मर्यादा और इज्जत का खयाल तुम्हें ही रखना है। अब समय आ गया है कि शादी के बाद पीहर से विदा करते समय हम लड़कियों को किसी भी परिस्थिति में पीहर के साथ का वादा करें। उन्हें यह भरोसा दिला कर भेजें कि इस घर पर उसका पहले जितना ही हक है। हम यह अच्छी तरह समझ लें कि देहेज देकर खरीदा गया लड़का किसी भी हालत में अच्छा और सुरक्षित लड़का नहीं हो सकता। शादी के समय बेटी को दिए जाने वाले उपहार और देहेज के अंतर को जरूर समझ लें।

– रचना सिद्धा, लेखक

यूरिया खाद लेने किसानों की भीड़ उमड़ी

उदयपुर, (का.सं.)।उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक में यूरिया खाद को लेकर भीड़ रही। वहां सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया। खाद को लेकर लोगों को काफी परेशानियां हुई। मावली उपखंड के थामला गांव में थामला ग्राम

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए।केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीलरों की दुकान पर किसानों की लड़ाई लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

■ सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया, मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी

समिति पर खाद की आपूर्ति पहुंचते ही किसानों की भीड़ लग गई। वहां सुबह 10 बजे तक करीब 300 से अधिक किसान लंबी कतारों में खड़े होकर

खाद लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह से कतार में लगे किसानों का नंबर नहीं आने पर उनमें आक्रोश था। अचानक बढ़ी भीड़ को देखते हुए

और किसानों के आक्रोश के बीच मौके पर मावली पुलिस भी आई। बाद में पुलिस और समिति कार्यचारियों ने मिलकर किसानों की शांति से खाद वितरण कराने की अपील की लेकिन किसानों ने कहा कि वे सुबह से आए और 11 बजे तक लेकिन उनको खाद नहीं मिली।

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

राष्ट्रपति के प्रश्न तीन के उत्तर में संविधान पीठ ने माना कि राज्यपाल का function justiciable mandamus नहीं है फिर Mandamus जारी करने के निदेशन से कोर्ट स्वयं ही संकट में आ सकती है

कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडू राज्य की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में यह राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिये विधेयकों (बिलों) पर निर्णय लेने की सीमा तय की थी। संविधान के सम्बन्धित प्रावधानों में समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 200 व 201 की सही व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 कानूनी बिन्दुओं पर राय मांगी। मूल प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में माना कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है।

भारत के संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान भिन्न हैं। प्रारम्भ में ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों ही संवैधानिक प्रमुख रबर स्टाम्प की तरह अपना काम करेंगे; किन्तु समय ने यह सिखा दिया कि ऐसा सोचना सही नहीं था। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 एवं 55 की प्रक्रिया के अनुसार चुना जाता है और राज्यपाल (गवर्नर) की नियुक्ति अनुच्छेद 155 की प्रक्रिया से राष्ट्रपति करते हैं। दोनों ही संवैधानिक प्रमुखों को कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 154, 161, 163 व 166 उन्हें कार्यपालिका के अधिकार देते हैं और अनुच्छेद 168, 158, 200, 201, 213 व अनुच्छेद 174 उन्हें विधायिकका के अधिकार देते हैं। जजों की संविधान पीठ ने अर्थात् सीजेआई गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस चंद्रकर व जस्टिस नरसिम्हा ने अपनी राय एक सुरू में दी है। अनुच्छेद 200 की जो विशद व्याख्या की गई है वह अद्भुत व प्रशंसनीय है। सोलोसिटर जनरल तुषार मेहता के शब्दों में वह ज्ञानवर्धक है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने निर्णय को विवेकपूर्ण व विचारशील बताया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती। इस प्रकार संविधान पीठ ने यह माना कि खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 08 अप्रेल, 2025

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती

राज्यपाल के पास तीन संवैधानिक विकल्प हैं वे मंजूरी दें, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें या पुनः विचार के लिये टिप्पणी के साथ विधान मण्डल को लौटा दें। उनके पास बिल रोकने का विकल्प नहीं है। प्रश्न 2 के उत्तर में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद में ऐसी कोई बाध्दता नहीं है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से सला लेवें। प्रश्न 3 के उत्तर में संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल के विवेक प्रयोग की समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकती; किन्तु संविधान पीठ ने इस मत की अभिव्यक्ति करते हुये भी यह कह दिया कि यदि लम्बे समय तक, अस्पष्ट निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय न लेने पर कोर्ट विचार कर अपना निर्देश दे सकती है। संविधान पीठ ने अपने निर्णय (राय) दिनांक 20.11.2025 के पेरा 165 में उपरोक्त कथन को निम्नलिखित रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया है :-

“165.3: The discharge of the Governor’s function under Article 200, is not justiciable. The Court cannot enter into a merits review of the decision so taken. However, in glaring circumstances of inaction that is prolonged, unexplained, and indefinite — the Court can issue a limited mandamus for the Governor to discharge his function under Article 200 within a reasonable time period, without making any observations on the merits of the exercise of his discretion.”

संविधान पीठ ने एक ओर तो विधेयकों पर राज्यपाल से समय सीमा पर मंजूरी प्राप्त न होने पर स्वतः मंजूरी (Deemed Assent) की संविधान की भावना के विपरीत और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध माना है। दूसरी ओर उपरोक्त पेरा 165.3 में जो भावना अभिव्यक्त की है वह प्रश्न एक के उत्तर पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। सब कुछ कहने और स्पष्ट करने पर भी मूल प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित ही दिखाई देता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कोर्ट की अनिश्चितकाल अथवा अस्पष्ट बात वाली सलाह पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय स्पष्ट करता है कि बिल के कानून बन जाने के बाद judicial Adjudication के सिद्धान्त लागू होते हैं, इससे पूर्व राज्यपाल के विवेकपूर्ण निर्णयों पर कोर्ट का दखल स्वीकार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 200 व 201 के प्रावधानों की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है वह सप्रसन्न में ज्ञानवर्धक है, और स्पष्ट करती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को केवल वे विकल्प प्राप्त हैं जिनका उल्लेख प्रश्न 1 के उत्तर में दिया गया है। समय उपाय या deemed asscnt का सिद्धान्त अनुच्छेद 200 की शब्दावली में संशोधन करना होगा, जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के प्रयोग के बिना नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा राष्ट्रपति पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के बाद, अब केवल यह विकल्प कार्यपालिका के पास है कि संविधान में यशोचित संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र ही किया जावे और इस उलझी हुई स्थिति से देश को मुक्ति दिलाई जावे। जनहित व देशहित में यह सही रास्ता है।

हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केन्द्र में केन्द्रीय सरकार है और राज्यों में राज्य की सरकारें। हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। केन्द्र और राज्यों में अलग-2 राजनीतिक पार्टियों की सरकारें शासन का संचालन करती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अधिक होती है। इनमें सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है। हमारे संवैधानिक प्रमुख जैसे प्रेसीडेन्ट व गवर्नर केवल मात्र शोभा के पात्र अथवा रबर स्टाम्प मात्र नहीं हैं। उनकी भूमिका का अपना ही महत्व है उन्हें विवेक व संतुलन के आधार पर अपना कर्त्तव्य पालन करना होता है तथा अपनी शपथ के अनुसार संविधान की रक्षा करना है, उसकी पालना करना है। संविधान पीठ ने संवैधानिक प्रमुखों की स्वतंत्रता का अक्षुण्णता प्रदान की है। केन्द्र और राज्य में विभिन्न राजनीतिक मतवालगुम्वियों की सरकारों में आपसी टकराव देखने को मिल रहे हैं, उनमें आपसी सन्तुलन रखना जहां आवश्यक है वहीं बहुत ही नाजुक भी है। अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते समय यह तो कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है, किन्तु यह कह दिया कि अनिश्चितकाल तक निर्णय को रोकना जाना भी उचित नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट का दखल संविधान की गतिशीलता के लिये आवश्यक है, इस प्रकार संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को गतिरोध के चक्करों में फंसेने से बचाने का प्रयत्न किया है। लोकतंत्र की गतिविधियों में चैक व बेलेंस होना आवश्यक है ताकि शक्ति का संचालन में केन्द्रीकरण का खतरा न हो सके। संविधान पीठ ने अपने साहसिक, ज्ञानवर्धक तथा प्रतिभाशाली निर्णय और भविष्य की सुरक्षा के लिये अपनी कलात्मक अनिश्चितकारी टिप्पणी से राहत तो देती; किन्तु अपने स्वयं के लिए एक बड़ी आफत को भी जन्म दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अनुच्छेद 21 में शब्द ‘स्पर्मि’ को व्याख्या करते हुये माना है कि स्पर्म यानी जीवन की गरिमा के लिये न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित होना आवश्यक है, किन्तु देश के नागरिकों को त्वरित न्याय से सर्वथा वंचित दिखाई देते हैं। न्यायालय के प्रत्येक व्यवहार में विलम्ब हो रहा है। वर्षों से मुकदमें लम्बित हैं। फैसलों ही इंतजार ही में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जानमत की अर्जियां तक फैसलों की प्रतीक्षा में दिखाई देती है। जेल में सजा काट रहे कैदियों की अपील, सजा समाप्ति तक निर्णित नहीं होती। सिविल के मुकदमों का निर्णय पोतों के जीवन में भी हो जायेगा, इसकी सम्भावना नहीं है। न्याय सुलभ भी नहीं है और न्याय मंहगा भी बहुत है। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की फीस लाखों रूपये प्रति पेस्री तक है।

न्याय त्वरित नहीं है, सही है; किन्तु न्याय के सुलभ तथा शीघ्र निस्तारण के लिये न्यायालय कोई कारगर कदम भी नहीं उठा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट का कार्य पुराने नियमों के अनुसार ही हो रहा है। नये रूल बनाने में ही वर्षों का समय लगने के बाद भी, लागू तक नहीं किये गये हैं। डिजिटलाईजेशन का उपयोग व प्रयोग कोई संतोषजनक गति नहीं पा सका है।

संविधान की पीठ ने तमिलनाडू के केस के सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा पूछे गये 14 प्रश्नों का उत्तर special reference no.1of 2025 में संविधान पीठ ने दिनांक 20.11.2025 को दिया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में पेरा नं० 165.3 में कहा है कि न्यायालय को उन परिस्थितियों जिनका उल्लेख ऊपर कहा गया है कोर्ट सीमित mandamus जारी कर सकती है। अतः प्रश्न उठाया जा सकता कोर्ट के कार्य में विलम्ब के विषय में कितनी mandamus के हेतु याचिकायें पेश होंगी सोचकर ही सिर चकरा जायेगा।

Sir का प्रश्न संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से सम्बन्ध रखता है, जिसे निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्पूर्ण अधिकार संविधान ने दिये अनुच्छेद 324 में दिये हैं अर्थात् इस विशेष पर चुनाव आयोग का निर्णय, न्यायिक समीक्षा से परे है। यदि हम संविधान पीठ के उत्तर की पृष्ठभूमि पर उसे लागू करें तो सम्भव है सभी याचिकायें justiciable नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुच्छेद 329 में वर्जन है।

सत्यमेव जयते! -अतिथि सम्पादक पानाचन्द जैन, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट “ आधार कार्डधारियों” को सीधे ही नागरिकता का अधिकार देने के पक्ष में नहीं लगता?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर उसके सम्मुख चल रही बहस के दौरान संकेत दिया, आधार कार्ड अपने आप नागरिक होने का अधिकार नहीं देता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवंबर। आधार कार्ड प्राप्त करने में सफल रहे युसर्पैठियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या एक गैर-नागरिक को आधार कार्ड होने पर मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक कल्याण लाभ सभी तक पहुंचे, और यह दस्तावेज स्वचालित रूप से मतदान का अधिकार नहीं प्रदान कर सकता।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कई राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा करने के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि आधार

■ “आधार कार्ड” का सीमित मकसद था, कुछ सरकारी सुविधाएं, जैसे राशन उपलब्ध कराना। अगर किसी पड़ोसी देश से कोई भारत आता है, मजदूरी करने, तो उसे राशन की सुविधा, मानवीय कारणों से दी जाती है, पर, क्या उसे यह सुविधा देने का अर्थ उसे नागरिकता देना भी हो जाता है।

■ कपिल सिब्बल ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि न्यायालय का फोकस, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि प्रक्रिया की शुद्धता। सिब्बल ने आगे कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण तो नहीं, पर, आधार कार्ड से संभावना मेरे पक्ष में है कि मैं नागरिक हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। अगर इस कारण मुझे नागरिकता मिल सकती है, अगर गलत मिली है तो सरकार यह साबित करे, न्यायिक प्रक्रिया से, तथा तभी मेरी नागरिकता रद्द की जा सकती है।

कार्ड “नागरिकता का पूर्ण प्रमाण” नहीं है। बैंच ने कहा, “इसलिए हमने कहा था

हटाया जाता है, तो उसे हटाने का नोटिस दिया जाएगा।”

आधार अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि यह नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आधार एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसे लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को राशन पाने के लिए आधार दिया गया है, क्या उसे मतदाता भी बना दिया जाना चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश का है और श्रमिक के रूप में काम करता है।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को उस दस्तावेज की प्रमाणिकता का निर्धारण करने का अधिकार है, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग “पोस्ट ऑफिस” नहीं है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में बहुविवाह पर रोक लगी

गुवाहटी, 27 नवंबर। असम विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम बिल पास किया है, जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) करना कानूनी अपराध होगा।

■ असम विधानसभा ने गुरुवार यह बिल पास किया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है।

बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह अपराध माना जाएगा।

इस “असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी” बिल 2025 में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही, पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपभोक्ता आयोग ने शाहरुख, देवगन, टाइगर श्रॉफ, अमायरा से जवाब मांगा

जयपुर, 27 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम द्वितीय ने, “विमल गुटखे के दाने-दाने में केसर का दम” बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री अमायरा दस्तूर, अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित, विमल गुटखा ब्रॉड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से जवाब तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी

■ आरोप है कि चारों ने विमल गुटखे में “केसर बादाम” बताकर भ्रामक प्रचार किया।

लाल मीणा ने यह आदेश गौरव तिवाड़ी के परिवार पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

परिवाद में कहा गया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल गुटखे का निर्माण कर उसे देशभर में विक्रय करने के लिए सप्टाई करती है और तीनों अभिनेता व अभिनेत्री इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं। परिवार में कहा गया कि विज्ञापन में बताया जाता है कि इसमें केसर का मिश्रण है, जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और यह गुटखा पांच रुपए में आता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या बुलेट ट्रेन प्रोजैक्ट में जापान पर निर्भरता कम करना चाहता है रेलवे

जापान लीकी केबल सिस्टम और शिकान्सेन रैक्स के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, जबकि रेलवे उसके सस्ते विकल्प तलाश रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवम्बर। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2027 तक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना के तहत सूरत से वापी खंड में 100 किलोमीटर की दूरी पर 250 किमी/घंटा की गति से विश्वसनीयता, उपलब्धता, रखरखाव और स्थिरता का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था, “508 किलोमीटर लंबे गलियारे की पूरी लंबाई 2029 में शुरू हो जाएगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा का समय घटकर 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।”

भारत के पहले हाई-स्पीड रेल गलियारे के लिए लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है। नागरिक कार्यों की प्रगति हो रही है। हालांकि, जापान और भारत

■ जापान इस प्रोजैक्ट का 80 प्रतिशत खर्च उठा रहा है। सवाल यह है कि रेल्वे की सस्ते विकल्प ढूंढने की रणनीति जापान को कहीं नाराज़ ना कर दे।

■ रेल्वे अगस्त 2027 में सूरत से वापी के बीच 256 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पर हाई स्पीड ट्रेन की विश्वसनीयता, रख रखाव, टिकाऊपन और उपलब्धता का परीक्षण करेगा। रेल मंत्री ने 2029 तक बुलेट ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई।

के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे सिग्नलिंग सिस्टम और रोलिंग स्टॉक पर मतभेदों के कारण समय और लागत में वृद्धि हो रही है। जापान, जो इस परियोजना की 80 प्रतिशत लागत का वित्तपोषण कर रहा है, लीको कोऑक्सिकल सिस्टम (एललीएक्स) सिस्टम की तैनाती और शिकान्सेन रैक की पसंद पर जोर दे रहा है।

भारत यूरोपीय निर्माताओं से

रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता को आधी कीमत पर प्राप्त करना चाहता है, जो जापान द्वारा 49 दस-कोच हाई-स्पीड ट्रेन सैट्स के लिए उद्धृत की गई कीमत से लगभग आधी है। अधिकारियों ने बताया, जापान ने इस आपूर्ति को ई-10 शिकान्सेन रैक के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये में देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि पश्चिमी देशों से यह स्टॉक लगभग 10,000 करोड़ रुपये

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवम्बर। कांग्रेस के भीतर ‘लीडरशिप गैप्स’ का कर्नाटक संस्करण गुरुवार को तेज हो गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का खेमा अब पूरी तरह सतर्क हैं और जरूरत पड़ते ही दिल्ली पहुंचकर पार्टी पर दबाव बनाने की तैयारी में हैं कि शीर्ष पद पर वही बने रहें। इस सप्ताह उन्होंने पार्टी में पैदा हुई ‘उलझन’ को स्वीकार किया था और कहा था कि पार्टी को अब इस पर ‘पूर्ण विराम’ लगा देना चाहिए। इसके बाद सूत्रों का कहना है कि वे ‘वेट-एंड-वॉच’ मोड में हैं।

सूत्रों का कहना है कि यदि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से जरा भी संकेत मिला कि उनके प्रतिद्वंद्वी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार , जो सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद के प्रति झुकाव को नकार चुके हैं, को आगे

ईडी ने कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों पर छापे मारे

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ , गुजरात, राजस्थान, बिहार,

■ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों को गोपनीय निरीक्षण पर रिश्तत देने के मामले में यह कार्यवाही हुई।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह छापेमारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गयी है। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवम्बर। वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयं वाणिज्य मंत्री द्वारा यह उम्मीद जताने के बावजूद, कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता लगभग तय होने वाला है, बातचीत में दोनों पक्षों को कोई असली कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सच्चाई यह है कि कई गहरे मतभेद दोनों देशों के बीच बड़ी बाधा बने हुए हैं। दोनों पक्ष शुरुआती समझौते को अंतिम रूप देने की इच्छा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर मतभेद कायम हैं, उन्हें देखते हुए कोई भी समझौता सीमित दायरे वाला ही होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से

संवेदनशील मांगों पर कितना समझौता करने को तैयार हैं।

सबसे बड़ी रुकावट कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, खासकर अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कुछ अनाज और डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर। अमेरिका चाहता है कि इन पर शुल्क कम हो और डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, सेब, मेवे, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (प्रोसेस्ड फूड्स) और एथेनॉल जैसे उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिले। वहीं भारत के लिए कृषि, विशेषकर डेयरी, खाद्यान्न और जीएम फसलें, एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। भारत का तर्क है कि सस्ते और सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पाद छोटे किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खाद्य सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं

■ कृषि उत्पाद व डेयरी प्रोडक्ट्स पर मतभेद अभी भी उसी स्थिति में हैं, जो बातचीत के प्रथम दिवस से था।

■ अमेरिका चाहता है, डेयरी, खाद्यान्न के बेचने के लिए उसे खुली छूट मिले। पर, डेयरी प्रोडक्ट्स उन मवेशियों के दूध से तैयार किये जाते हैं, जो पशु बाय प्रोडक्ट्स मिश्रित चारे पर पले होते हैं। अतः भारत की आम जनता सांस्कृतिक (कल्चर) कारणों से इन डेयरी प्रोडक्ट्स को स्वीकार नहीं करेगी। पर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स काफी सस्ते होंगे और इजाजत मिली तो भारत के मार्केट पर कब्जा कर लेंगे तथा भारत में छोटे-छोटे सहकारी प्रयासों से चल रहा डेयरी उद्योग चौपट हो जाएगा।

और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं।

सांस्कृतिक और खान-पान की

आदतों की वजह से डेयरी आयात का मुद्दा खास तौर पर संवेदनशील है, और क्योंकि भारतीय डेयरी कोऑपरेटिव

और छोटे डेयरी किसान घरेलू रैगुलेटरी और टैरिफ रुकावटों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। भारत ने हमेशा व्यापार समझौतों में डेयरी क्षेत्र को उदारीकरण से बाहर रखा है और इस बार भी यही रुख कायम है। अमेरिकी डेयरी उत्पादों, खासकर जानवरों के बाय-प्रोडक्ट या जी.एम. कंटेंट वाले चारे पर पलने वाले मवेशियों से बने प्रॉडक्ट्स के लिये अपने बाजार खोलना, लोगों के साथ-साथ, रैगुलेटरी चिंताओं को भी बढ़ाता है।

कृषि और डेयरी के अलावा भी, कई क्षेत्र विवाद का कारण बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन), पेट्रोकेमिकल और कुछ अन्य औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क कम करे।

इसके बदले भारत उम्मीद करता है कि अमेरिका इस्पात, एल्युमिनियम, ऑटो-पुर्ज, इंजीनियरिंग सामान और वस्त्र, चमड़ा, रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान भारतीय उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्क में राहत दे।

रुकावटों में रैगुलेटरी और नॉन टैरिफ रुकावटें भी खास तौर पर शामिल हैं। भारत अपनी रैगुलेटरी ऑटोनोमी बनाए रखना चाहता है, जिसमें, खेती और खाने के इंपोर्ट के लिए क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तथा जी.एम. प्रॉडक्ट पर रोक शामिल है। लेकिन अमेरिका अपने एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा आसान, ज्यादा सरल ट्रेड और कम रैगुलेटरी रुकावटों के लिए जोर दे सकता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

की लागत पर खरीदा जा सकता है।

लागत को कम करने और जापान पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे ने 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्टैंडर्ड गेज ट्रेनसेट्स के स्वदेशी निर्माण की योजना को तेज कर दिया है, जो वर्तमान में सरकारी -स्वामित्व वाले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले सप्ताह सूरत एचएसआर स्टेशन की समीक्षा यात्रा के बाद, बीईएमएल को इन ट्रेनसेट्स को 2027 की शुरुआत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों का कहना है दो प्रोटोटाइप रैक सूरत-वापी खंड में विश्वसनीयता उपलब्धता रखरखाव व स्थिरता परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाएंगे।

भारतीय रेलवे ने लीकी केबल सिस्टम के बजाय ‘ओपन सोर्स’ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विस्फोट का मुख्य आरोपी बिलाल वानी एनआईए रिमांड पर

श्रीनगर, 27 नवंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को दिल्ली कार बम विस्फोट के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी को सात दिन की रिमांड पर ले लिया। दिल्ली की

■ एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिये ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किये।

एक स्पेशल कोर्ट ने वानी को सात दिन की हिरासत में भेजने का फैसला किया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड के रहने वाले वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किए और रॉकेट बनाने की भी कोशिश की, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की घोषित नीति है- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में पर्यटन के प्रीसमिट सम्मेलन को संबोधित किया

जयपुर, 27 नवम्बर। गुरुवार को एक निजी होटल में प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हमारी सामूहिक

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विकास हो रहा है। इस वर्ष अगस्त माह तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक और 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री-समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री दीपा कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मौजूद थे।

वन्यजीव अभयारण्य, आस्था धाम और झीलों की उपलब्धता राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में निराला प्रदेश बनाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस वर्ष अगस्त तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी तथा करीब 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को आत्मसात् करते हुए, राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को

बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद 2.0 योजना के अंतर्गत, खादुरस्थाम जी, करणी माता मंदिर, मालासेरी ढुंगरी समेत, अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी

बिल्डिंग फंड गठित किया है।

प्री-समिट में उप-मुख्यमंत्री दीपा कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, केंद्रीय पर्यटन अपर सचिव एवं महानिदेशक सुमन बिल्ला, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, हिन्दुस्तान ज़िंक के सीईओ अरुण मिश्रा सहित, संबोधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उद्यमी उपस्थित थे।

हम प्रदूषण पर तुरंत समाधान की उम्मीद नहीं करें- सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (एमसी मेहता मामले) से संबंधित मामले को अगले सोमवार को तत्काल सुचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है लेकिन न्द न्यायालय ने आगाह किया कि न्यायपालिका से इस स्तर के संकट का तुरंत समाधान देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को इस मामले की तत्काल सुचीबद्धता के उल्लेख की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता एक "स्वास्थ्य आपातकाल" है। पीठ ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय को तदर्थ न्यायिक निर्देशों के बजाय, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जानकारी पर निर्भर रहना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की "खतरनाक" स्थिति को उजागर करने वाली न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम समस्या जानते हैं। हमें सभी

दिल्ली विस्फोट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ताकि उनका इस्तेमाल हमलों में किया जा सके।

एजेंसी के मुताबिक, वानी के खिलाफ सबूतों से पता चलता है कि उसने 10 नवंबर को लाल किला ब्लास्ट में मदद के लिए आतंकवादी नेटवर्क को

टेकिनकल सपोर्ट देना जारी रखा। ये गतिविधियां बड़े हमलों की साविश का हिस्सा थीं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। एनआईए टीम वानी से दूसरे संभावित साथियों, ड्रोन सप्लाई नेटवर्क और टेकिनकल मांड्यूल के बारे में पूछताछ करेगी।

‘स्वतंत्र यूट्यूब चैनलों की जवाब देही तय की जाए’

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने मीडिया तथा ओटीटी संस्थाओं द्वारा अपनाने गये मौजूदा स्व-नियमन ढ ंचे पर असंतोष व्यक्त किया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री की निगरानी के लिए एक "तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त"

नियामक निकाय की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ गुरुवार को पॉडकास्ट रणवीर इलाहाबादिया और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में ऑनलाइन शो "इंडियाज गॉट टैलेंट" से संबंधित कथित अश्लील सामग्री को लेकर दर्ज प्राथमिकी को एक साथ करने की मांग की गयी है।। इससे पहले न्यायालय ने ऑनलाइन अश्लीलता पर व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए मामले के दायरे को बढ़ा ाया था। मुख्य न्यायाधीश ने स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किसी भी नियामक ढ ंचे की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा, "तो मैं अपना चैनल बनाता हूं, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं... किसी को तो जवाबदेह होना चाहिए!" उन्होंने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे "विकृति" को सही ठहराने के लिए नहीं बढ़ा ाया जा सकता।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है। यह गैंग मुख्य रूप से हाईवे पर स्थित होटल संचालकों को निशाना बनाकर उनसे जबरन रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात है। एजीटीएफ की यह कार्रवाई राज्य में संघटित अपराध और लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

प्रदीप रं गंदारी, बैंक लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे तीन दर्जन से अधिक संगीन अपराधों

‘ अगर इमरान ज़िंदा हैं तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा ’

इमरान की पार्टी के लोगों ने इमरान की हत्या की आशंका जताई

रावलपिंडी, 27 नवंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जीवित होने को लेकर सरसंसे और भी ज्यादा गहरा गया है। पिछले 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में उनके परिवार और परिजनों को कोई खबर नहीं दी गई है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया और जापानी मीडिया में इमरान खान की जेल में मौत होने को खबरें आनी की तरह फैल रही हैं। इस बीच पाकिस्तान ने साढ़ े पांच बजे नेशनल असेंबली की आपात बैठक बुला ली है। इससे बड़ी अन्होनी की आशंका जन्म ले रही है। इन्हीं आशंकाओं के बीच खैरपरख्तूनखा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी बृहस्पतिवार को जब इमरान से मिलने अडियाला जेल पहुंचे तो उन्हें मिलने से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने कहा कि उन्हें इमरान खान से जेल में मिलने से मना कर दिया गया। इसलिए वे जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। पिछले कई दिनों से इमरान खान की मौत हो जाने की अफवाहें पाकिस्तान से लेकर

कारणों की पहचान करने की आवश्यकता है। कोई एक अकेला कारण नहीं है, ऐसा सोचना गलती होगी।"

न्यायपालिका की सीमाओं का उल्लेख करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "कोई अदालत क्या जादुई छड़ी चला सकती है? मुझे बताएं, हम क्या निर्देश दें, ताकि तुरंत स्वच्छ हवा मिल जाए?" पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यह समस्या आवश्यक है कि सरकार ने कौन सी समितियां बनाई हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या कर रहा है, और विभिन्न क्षेत्रों में कौन से समाधान व्यावहारिक हैं।

मुंबई में सीट बंटवारे पर ठाकरे बंधुओं में मतभेद हुआ

मुंबई, 27 नवंबर। मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच 75 सीटों को लेकर एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। सुत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गतिरोध दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मध्य मुंबई स्थित उनके आवास शिवतीर्थ पर पूर्वाह्न में मुलाकात की।

क्या बुलेट ट्रेन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईसीटीएस-2 सिग्नलिंग को लागू करने का इरादा भी किया है, लेकिन इस पर विचार-विमर्श जारी है। जून में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड (एनएचआरसीएल) - जो एमएचएसआर की कार्यान्वयन एजेंसी है - ने सिग्नलिंग और टेलीम्यूनिकेशंस कार्यों के लिए डीआरए-इन्फ्राकॉम सीमन्स संयुक्त उपक्रम को 4140 करोड़ रुपये का अनुबंध सौंपा। सीमन्स ने भारतीय रेलवे के प्रबंधकों को यह आश्वासन दिया है कि "ड्यूल-यूज़" सिग्नलिंग सिस्टम प्रदान किए जाएंगे, ताकि अगर भारत के सार्वजनिक परिवहन ने बाद में लोकी केबल सिस्टम को अपनाने का निर्णय लिया तो वह इसके लिए तैयार हो गया। दिल्ली- मेरठ रैपिड रेल और दिल्ली मेट्रो के लिए अपनाई गई रणनीतियों के अनुरूप, भारतीय रेलवे 320 किमी/घंटा की गति वाली ट्रेनसेट्स के लिए "वैंडर न्यूटल" सिग्नलिंग सिस्टम प्राप्त करने की योजना बना रहा है, साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी की भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, इन बिद्स को बाद में जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि, भारतीय रेलवे की पश्चिमी देशों से

असम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बिल में पॉलीगैंग की स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है, यदि कोई व्यक्ति तब शादी करता है, जब उसका जीवनसाथी अभी जीवित है और उससे कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है या उनका शादी कानूनी रूप से रद्द नहीं हुई है, तो यह बहुविवाह माना जाएगा।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हार्डकोर सदस्य प्रदीप गुर्जर गिरफ्तार

एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स ने नाटकीय तरीके से गुरुग्राम की पॉश सोसायटी में उसे पकड़ा

- पुलिस के अनुसार, हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है। यह गैंग मुख्यतः हाईवे पर स्थित होटल संचालकों से जबरन रंगदारी वसूलने में लिप्त है।**

के मुकदमे दर्ज हैं। सात आपराधिक मुकदमों में फरार चलने के कारण एसपी कोटपुतली द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।

एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में, एक विशेष टीम को इस हार्डकोर बदमाश को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया,

जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर राम सिंह द्वारा किया गया। टीम ने मुखबिरों को एक्टिव किया। इसके बाद हेड कॉन्स्टेबल सुधीर कुमार को उसके गुरुग्राम में होने की पुख्ता जानकारी मिली।

यह एक चुनौतीपूर्ण मिशन था, जहाँ टीम ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रेकी की। आरोपी गुड़गांव के खेड़ीकोदोला थाना क्षेत्र की एक विशाल और लग्जरी सोसायटी एम आर पाम हिल के एक फ्लैट में छिपा हुआ था।

टीम ने सोसायटी के नाकों पर सदस्य तैनात किए और गाड़ बनकर हेड कॉन्स्टेबल सुधीर ने अंदर पल-पल की जानकारी हासिल की। सटीक स्थिति का पता चलते ही टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और गैंग्स्टर प्रदीप रावत को घेर कर दबोच लिया। टीम आरोपी को कोटपुतली लेकर आई है और उसे थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे कई अन्य मामलों के खुलासे की पूरी संभावना है।

स्पीकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह से सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। दोनों उपमुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनके दिल्ली हवाई अड्डे पर आमनन पर भाजपा सरकारों द्वारा एक असामान्य गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, जो आमतौर पर राज्यस्तरीय मंत्रियों को राजधानी में नहीं मिलता।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर कई पूर्व-निर्धारित बैठकें हुईं। यह सब इस बात को दर्शाता है कि पार्टी बिहार के बदलते राजनीतिक ढांचे को लेकर काफी गंभीर है। गृह मंत्रालय पर तो भाजपा का नियंत्रण है ही, और अब वह स्पीकर पद पर काबिज होने की तैयारी में है, जिससे पार्टी के पास अब कानून-व्यवस्था और विधायी प्रक्रिया, दोनों का नियंत्रण होगा। यह दोहरा कब्जा भाजपा को बिहार में सत्ता का केन्द्र बना देता है, जिसके चलते नीतीश कुमार के पास काम करने की सीमित गुंजाइश ही बचती है।

पर्वेक्षकों का कहना है कि ये घटनाक्रम भाजपा प्रेरित शासन के एक नए युग का संकेत है, जहां नीतीश मुख्मन्त्री के पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन सत्ता की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अब भाजपा के हाथों में है।

एसआईआर भरते हुए बंगलादेशी गिरफ्तार

- बंगलादेशी नदीम 15 साल पहले भारत आया था और आधार कार्ड बनवा कर रह रहा था।**

कि नदीम सरदार करीब 15 साल पहले भारत आया था और उसने गोबरा क्षेत्र के रोबिन नामक एक व्यक्ति को 4,000 रुपये देकर अपना आधार कार्ड बनवाया

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आरोपी को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया

कोलकाता, 27 नवंबर। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के डानकुनी शहर में 15 साल से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को एक मृत व्यक्ति के नाम पर विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के तहत राणना पत्र भरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आरोपी को मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया

शिवकुमार, दोनों को दिल्ली बुलाया जाएगा।

उधर डीके शिवकुमार ने अब तक टकराव की स्थिति नहीं बनाई है और राजनीतिक रूप से संतुलित बयान दिए हैं। उन्होंने तो अपने प्रतिद्वंद्वी को उस पद, जिसे वे चाहते हैं, पर बने रहने का समर्थन भी सार्वजनिक रूप से किया है और अपने समर्थन में आए बयानों - जैसे रामनगर के विधायक इकबाल हुसैन का "200 प्रतिशत पक्का" वाला बयान, को भी हल्का किया है।

लेकिन उन्होंने कई बार संकेतों में तीखी बातें भी कही हैं, जिनमें वादों को निभाने की याद दिलाना शामिल है। माना जाता है कि उनका इशारा सीधे सिद्धारमैया की तरफ था।

सिद्धारमैया-शिवकुमार विवाद कांग्रेस की 2023 जीत के बाद शुरू हुआ। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया को चुना, जबकि शिवकुमार का मानना ​​था कि जीत दिलाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, इसलिए यह पद उन्हें मिलना चाहिए था।

इसके बजाय उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया, पर प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहने दिया गया। कांग्रेस का "एक व्यक्ति, एक पद" नियम इस मामले में ढीला किया गया। उसी समय

एक 'समझौता' चर्चा में था, जिसका जिक्र शिवकुमार ने "हम पांच-छह लोगों के बीच हुआ गुप्त समझौता" कहकर किया था, जिसके अनुसार, आधे कार्यकाल के बाद सिद्धारमैया पद छोड़ देंगे।

पांच साल के कार्यकाल का मध्य बिंदु पिछले सप्ताह पार हो गया। तब से शिवकुमार खेमे के विधायक परिवर्तन की मांग जोर-शोर से उठा रहे हैं। शिवकुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे पद चाहते हैं और उन्होंने पिछले दिनों कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने में तीखी बातें भी कही हैं, जिनमें वादों को निभाने की याद दिलाना शामिल है। माना जाता है कि उनका इशारा सीधे सिद्धारमैया की तरफ था।

ईडी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकारियों को गोपनीय निरीक्षण निवरण लीक करने के एवज में रिखत दी गयी थी। आरोप है कि इस जानकारी के लीक होने से मेडिकल कॉलेज को जरूरी मापदंडों में हेरफेर करने और अवैध रूप से अनुमोदन लेने में मदद मिली। जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है, उनमें सारे मेडिकल कॉलेज और निजी आरोपियों के ठिकाने शामिल हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुघर्मा एम.आई.रोड, जयपुर।
फोन: 2372634, 4103333-34
फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा।
फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैन रोड आयड, उदयपुर।
फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथा, बीकानेर।
फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/163, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर।
फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424
हिण्डोनिसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोनि।
फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600
चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

